न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. गोपाराम पुत्र चेनाराम 2. मानीदेवी पत्नि गोबरराम के कायम मुकाम– 1.श्रीमति मुमली पत्नि सुखाराम 2.छैलाराम पुत्र सुखाराम 3.बलदेव पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासीयान– बिरडावास, तहसील व जिला जोधपुर		1. कोयली पुत्री कालीया उर्फ कालूराम पत्नि स्व बाबुलाल सरगरा निवासी– लोलडी, तहसील जोधपुर। 2. तुलसी पुत्री कालीया उर्फ कालूराम पत्नि स्व नैनाराम सरगरा निवासी– लोलडी, तहसील जोधपुर। 3. मीरा पुत्री कालीया उर्फ कालूराम पत्नि भूराराम के कायम मुकाम– 1.भीखाराम पुत्र भूराराम 2.पतकी बाई पुत्री भूराराम पत्नि हडमानराम 3.गजेन्द्र पुत्र जीयाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, चांदपोल जोधपुर। 4. मुकनाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम 5. दुरगाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम के कायम मुकाम– 5/1 श्रीमती रूपी पत्नी दुर्गाराम 5/2 बेबी पुत्री दुर्गाराम 6. कानाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम 7. तेजाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम के कायम मुकाम– 7/1 भंवरलाल उर्फ भंवराराम के का.मुकाम– 7/1/1 भुण्डकी पत्नी भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/2 किशनाराम पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/3 ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/4 बीजाराम पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/5 रविन्द्र पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/6 नारायण पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/7 लीला पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/8 दुक्की पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/9 उकडी पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/1/10 छतुडी पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7/2 गोमाराम पुत्र तेजाराम सरगरा 7/3 गंगा पुत्री तेजाराम सरगरा 7/4 रेशमा पुत्री तेजाराम सरगरा 7/5 गजरो पुत्री तेजाराम सरगरा 8 माधुराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम के का.मु– 8/1 राधा पत्नी माधूराम 8/2 भपाराम पुत्र माधूराम 8/3 रामाराम पुत्र माधूराम 8/4 जगदीश पुत्र माधूराम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		8/5 सुशीला पुत्री माधूराम पत्नी ओमप्रकाश 8/6 भगवती पुत्री माधूराम पत्नी कालूराम 8/7 गीता पुत्री माधूराम पत्नी जगदीश निवासी–बासनी बेंदा, तहसील जोधपुर। 9. जीवनराम पुत्र बुद्धाराम मेघवाल निवासी– एकतानगर, बनाड रोड जोधपुर। 10. सवाई सिंह पुत्र बगताराम मेघवाल निवासी– सन्तो तहसील फतेहगढ जैलसमेर हाल शिकारगढ, इनाणा होटल के पास जोधपुर 11. लूणाराम यपुत्र जागलाराम निवासी– मेघवालों का पूर्वी पाडा, सन्तो तहसील फतेहगढ, हाल ग्राम उचियारडा, जोधपुर। 12. बुगताराम पुत्र बरजाराम निवासी– 131 मेघवालों का पूर्वी पाडा, सन्तो तहसील फतेहगढ, हाल ग्राम उचियारडा, जोधपुर। 13. ग्राम पंचायत नान्दडा कला, जोधपुर।

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 12.10.2021 अनवान 02/2021 अनवान कोयली वगैराह बनाम मुकनाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री ओ0पी0बूब, श्री भरत बूब अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2 की ओर से।
3– श्री मनीश पंवार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3/3 की ओर से।
4– श्री के0एन0 प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4,5,6,7,12 की ओर से।
5– श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 22 की ओर से।
6– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

राजस्व अपील संख्या 15/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मुकनाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम 2. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 3. राधा पत्नी माधुराम 4. भपाराम पुत्र माधुराम 5. रामराम पुत्र माधुराम 6. जगदीश पुत्र माधुराम 7. सुशीला पुत्री माधुराम पत्नी ओमप्रकाश जातियान–सरगरा		1. कोयली पुत्री कालीया उर्फ कालूराम पत्नि स्व. बाबुलाल सरगरा निवासी– लोलडी, तहसील जोधपुर। 2. तुलसी पुत्री कालीया उर्फ कालूराम पत्नि स्व नैनाराम सरगरा निवासी– लोलडी, तहसील जोधपुर। 3. मीरा पुत्री कालीया उर्फ कालूराम पत्नि भूराराम के कायम मुकाम– 1. भीखाराम पुत्र भूराराम 2. पतकी बाई पुत्री भूराराम पत्नि हडमानराम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निवासी– बासनी बेंदा तहसील जोधपुर।		3. गजेन्द्र पुत्र जीयाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, चांदपोल जोधपुर। 4. भुण्डकी पत्नी भंवरलाल उर्फ भंवराराम 5. बीजाराम पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 6. रविन्द्र पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 7. नारायण पुत्र भंवरलाल उर्फ भंवराराम 8. लीला पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 9. बुद्धी पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 10. उकडी पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 11. संतोष पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम 12. प्रेमाराम पुत्र तेजाराम 13. गंगा पुत्री तेजाराम सरगरा 14. रेशमा पुत्री तेजाराम सरगरा 15. गजरो पुत्री तेजाराम सरगरा 16. भगवती पुत्री माधूराम पत्नी कालूराम 17.गीता पुत्री माधूराम पत्नी जगदीश निवासी–बासनी बेंदा, तहसील जोधपुर। 18. दुरगाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम के कायम मुकाम– 18/1 बेबी पत्नी नरसिंह पुत्री दुर्गाराम 19. जीवनराम पुत्र बुद्धाराम मेघवाल निवासी– एकतानगर, बनाड रोड जोधपुर। 20. सवाई सिंह पुत्र बगताराम मेघवाल निवासी– सन्तो तहसील फतेहगढ जैलसमेर हाल शिकारगढ, इनाणा होटल के पास जोधपुर 21. लूणाराम यपुत्र जागलाराम निवासी– मेघवालों का पूर्वी पाडा, सन्तो तहसील फतेहगढ, हाल ग्राम उचियारडा, जोधपुर। 22 कानाराम पुत्र कालीया उर्फ कालूराम निवासी–बासनी बेंदा, तहसील जोधपुर।

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 12.10.2021 अनवान 02/2021 अनवान कोयली वगैराह बनाम मुकनाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री धनपत चौधरी, श्री भरत बूब अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से।
3– श्री मनीश पंवार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3/3 की ओर से।
4–श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से।
5– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 03 जनवरी,2024

प्रस्तुत दोनों अपील प्रकरण एक ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने, अपील की विषय वस्तु एक समान होने से उक्त दोनों अपीलों एक संयुक्त निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में संलग्न की जावें।

उक्त अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश करते हुए कथन किया ग्राम पंचायत नान्दडा कला के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 13 को स्वीकार करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है क्योंकि अभिलिखित खातेदार कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतराराम के वारिसान की कोई जॉच नहीं की गई और न ही उनकों अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, केवल मात्र कालिया के पांच पुत्रों के नाम नामा0 स्वीकृत कर दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 भी उनकी विधिक वारिसान रही है। अतः अपीलाधीन नामा0 संख्या 13 को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 13 को खारिज कर कालीया उर्फ कालूराम पुत्र चुतरा क समस्त विधिक वारिसानों की जॉच करते हुए उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2021 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्टस ने यह अलग–अलग दो अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्टस के अधिवक्तागणों ने अपीले प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र तथा धारा 05 म्याद प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उक्त समय में वे वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार रेकर्डेड खातेदार/काश्तकार रहे है, ऐसे में पारित अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें तथा पक्षकार नहीं होने से आदेश की जानकारी निर्धारित म्याद अवधि में नहीं होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावें। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपीलान्टस अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित किये गये कथनों एवं तथ्यों के आधार पर उन्हें अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को इस प्रकरण में न तो सुना गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा फरवरी, 2021 में उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रथम पेशी दिनांक 16.2.21 को रेस्पोडेन्ट की तामील हेतु रखी गई थी। दिनांक 1.3.21 को रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से मनीष पंवार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था परन्तु शेष रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं था, इसकी वजह यह रही कि शेष रेस्पोडेन्टस को अपील का कोई नोटिस विधिवत प्राप्त नहीं हुआ है और न ही तामील हुआ है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य रेस्पोडेन्टस की तलबी किये बिना ही इस पत्रावली को निर्णय में मुकर्रर कर दी और दिनांक 12.10.2021 को पत्रावली निर्णित करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलाधीन नामा0 संख्या 13 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया। अपीलाधीन निर्णय/आदेश विधि एवं कानून के खिलाफ होने से काबिले खारिज करने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों का भली भांति विवेचन, विश्लेषण नहीं किया, केवल मात्र अपीलाधीन नामा0 संख्या 13 के उपलब्ध दस्तावेज का ही अवलोकन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त नामा0 संख्या 13 जो करीबन 52 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। उस नामा0 को 51 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात अपील में परिवर्तन करने का आदेश पारित कर दिया जबकि विवादग्रस्त भूमि लगभग 52 वर्ष पूर्व से लगातार अपीलान्ट के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही है। रेस्पो0 संख्या एक ता 3 का विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहा है और न ही उनका कब्जा काश्त किसी प्रकार से रहा है। जबकि प्रथम अपील में रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने को कालूराम की पुत्रियां होना बाते हुए अपना स्वामित्व व अधिकार क्लैम किया है, सम्पूर्ण प्रथम अपील में रेस्पो0 द्वारा यह कहीं पर अंकित नहीं किया कि पूर्व खातेदार कालूराम का देहान्त किस तारीख को हुआ था। कालूराम का देहान्त लगभग वर्ष 1953 को हो गया था उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में ही नहीं था, ऐसी स्थिति में कालूराम के नाम दर्ज सम्पति को उनके पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर ली गई, उक्त भूमि में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार से उत्तराधिकार के तहत खातेदारी अधिकार नहीं बनते है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु किसी प्रकार के ठोस कारण दर्शाये बिना स्वतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ही उपस्थित होकर अपील पेश कर दी।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त अनवान के मुकदमें के रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 3/1 श्री भीखाराम ने विवादग्रस्त भूमि में अपने समस्त अधिकारों का त्याग करते हुए श्रीमती तुलसी व कोयली अपीलान्ट मुकनाराम के पक्ष में दिनांक 25.1.2022 को हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया जो हकतर्कनामा पंजीयन कार्यालय में दिनांक 25.1.2022 को पंजीबद्ध करवाया। हकतर्कनामा निष्पादित होने के बाद रेस्पो0 संख्या 1,2 व 3/1 की तामील करवाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। श्रीमती पतासी उर्फ पतकी पुत्री भूराराम पत्नी हडमानराम ने भी इस भूमि में अपने स्वामित्व अधिकारों बाबत हकतर्कनामा मुकनाराम के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है। अन्य रेस्पो0 संख्या 20, 21, 8, 9, 15, 22, 18/1, 13 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भेज दिये गये है व ट्रेक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। जिसको पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नामा0 प्रकिया एक फिसकल प्रोसिडिग्स है जिससे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि को वर्तमान में अपीलान्ट व परफोर्मा रेस्पोडेन्टस द्वारा पूर्व स ही बेचान कर दी है व उनके नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जा चुके है। जिनको बिना पक्षकार बनाये ही प्रथम अपील पेश की गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना जॉच करवाये ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपील स्वीकार कर नामा0 संख्या 13 को निरस्त कर दिया जो गैर कानूनी वविधि विरूद्ध होने से व जल्दबाजी में पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में खातेदारान के बीच बंटवाडा, खातेदारी भूमि का विकय किये जाने से खातेदारी व मालिकाना हक–हकूक में परिवर्तन हो गये एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जॉच किये गये बगैर, नोटिस दिये गये बगैर ही देरी से पेश अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर नामा0 संख्या 13 को निरस्त कर दिया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतराराम के वारिसान द्वारा आपसी बंटवाडा करवाकर नामा0 स्वीकृत करवाकर दिनांक 08.06.2007 को कृषि भूमि खसरा न0 72/3 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का सम्पूर्ण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बेचान किशनाराम पुत्र भंवराराम, ओमप्रकाश, बींजाराम, रविन्द्रनारायण पुत्र भवरांराम नाबालिग जरिये माता भुण्डकी पत्नी भंवराराम, पेमाराम पुत्र तेजाराम, भुण्डकी पत्नि भंवराराम जाति सरगरा द्वारा दिनांक 08.06.2007 को बेचाननामा के जरिये अपीलांट संख्या 1 गोपाराम पुत्र चेनाराम को बेचान की गयी जिसका नामा0 सं0 254 अपीलांट के हक में भरा गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मृतक के वारिसान बाबत हिन्दू उत्तरधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 में संशोधन दिनांक 20.12.2004 अनुसार उससे पूर्व प्रभावित विभाजन पर लागू नही होता है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चतुराराम के वारिसान द्वारा आपसी बंटवाडा करवाकर नामा0 स्वीकृत कृषि भूमि खसरा न0 72/4 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का बेचान बाबुलाल पुत्र बींजाराम के हिस्से में आई, जिनसे मदनलाल पुत्र कुमाराम ने खरीद की तत्पश्चात मदनलाल, कुमाराम ने पप्पाराम पुत्र दुर्गाराम को विक्रय कर दी। पप्पराराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल द्वारा दिनांक 16.12.2007 को बेचाननामा के जरिये अपीलांट सं0 1 गोपाराम पुत्र चेनाराम को बेचान की गयी, जिसका नामा0 अपीलांटस के हक में भरा गया है, अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतराराम के वारिसान द्वारा आपसी बंटवाडा करवाकर नामा0 स्वीकृत करवाकर दिनांक 29.12.2006 को खातेदार नथाराम पुत्र गिरधारीराम द्वारा अपीलांट सं0 1 गोपाराम पुत्र चेनाराम को कृषि भूमि खसरा न0 87 रकबा 6 बीघा कृषि भूमि को दिनांक 08.07.1996 को मूल खातेदार तेजाराम पुत्र कालूराम, जाति सरगरा निवासी बासनी बेदा द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद कर दिनांक 10.07.1996 को बेचाननामा का पंजीयन करवाया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतराराम के वारिसान द्वारा आपसी बंटवाडा करवाकर नामा0 स्वीकृत करवाकर दिनांक 25.11.2006 को खातेदार मुकनाराम पुत्र कालूराम द्वारा अपीलांट सं0 1 गोपाराम पुत्र चेनाराम को कृषि भूमि खसरा न0 87/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके गांव बासनी बेन्दा का बेचान कर बेचाननामा का निष्पादन किया गया, जिसके आधार पर नामा0 सं0 259 दिनांक 05.05.2007 को अपीलांट सं0 1 के हक में भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतराराम के वारिसान द्वारा आपसी बंटवाडा करवाकर नामा0 स्वीकृत करवाकर दिनांक 25.11.2006 को खातेदार दुरगाराम पुत्र कालूराम द्वारा अपीलांट सं0 2 से 2/3 की सासु व दादी, मानीदेवी पत्नि गोबरराम (फौत) को कृषि भूमि खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न0 87/3 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके गांव बासनी बेन्दा का बेचान कर बेचाननामा का निष्पादन किया गया, जिसके आधार पर नामा0 सं0 260 दिनांक 5.05.2007 को अपीलांट सं0 2/1 की सासु 2/2 व 2/3 की दादी मानीदेवी पत्नि गोबरराम(फौत) के हक में भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, तत्पश्चात मानीदेवी की मृत्यु हो जाने के पश्चात मानीदेवी के वारिसान के नाम नामा0 सं0 178 दिनांक 03.10.2020 को भरा गया। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार बनाये बगैर एवं सुने बगैर केवल मात्र कालिया उर्फ कालूराम के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर व सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण अपीलााधीन आदेश विधि विरूद्व होने से काबिले निरस्तनीय है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलांटस द्वारा कृषि भूमि खसरा न0 19,72 व 87 वाके गांव बासनी बेदा के संबध में खातेदारान के बीच बंटवाडा होने के पश्चात अपीलांटस द्वारा दिनांक 08.06.2007, 16.12.2007, 29.12.2006 एवं 25.11.2006 (दो अलग अलग बेचाननामा द्वारा) को कृषि भूमि खरीद की गयी, तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने तथा मौके पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा एवं काश्त होने के बावजूद अपीलांटस को सुने बगैर अपीलााधीन आदेश पारित किया गया है,ऐसी अवस्था में कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतरा के वारिसान द्वारा पूर्व में उक्त कृषि भूमि खसरा न0 19, 72, व 87 के संबध में विभाजन किये जाने के पश्चात् भूमि का विक्रय मूल खातेदारान द्वारा किया गया है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित अपीलान्टस/पक्षकारान की विधिवत तामिल हुए बगैर विधिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर आनन–फानन में बाले बाले निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.09.2021 की आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.10.2021 दी गयी थी, जबकि उक्त दिनांक से पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आदेशिका कायम कर दिनांक 12.10.2021 को निर्णय जो न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर अपीलाधील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से काबिले निरस्तनीय है। रेस्पो0 सं0 4 से 8 द्वारा अपनी कृषि भूमि मे से हक– हिस्सा बेचने के बाद, रेस्पो0 सं0 1 से 3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर नामा0 सं 13 दिनांक 13.06.69 ग्राम पंचायत नांदडा कलां द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसको निरस्त करने हेतु माननीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनस्थ न्यायालय कि समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। रेस्पो0 सं0 3/3 द्वारा तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया जाकर हक प्राप्त किया गया है, वसीयतनामा के संबंध में सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त करने के पश्चात ही अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। केवल मात्र वसीयतनामा के आधार पर हक प्राप्त नहीं हो सकते इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी माना गया है, जो विधि विरूद्व होने से रेस्पो0 सं0 3/3 किसी प्रकार का हक हकूक प्राप्त करने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील 52 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, जो म्याद बाहर होने के बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म्याद के बिन्दू पर फाईडिंग दिये बगैर ही डिले कण्डोन कर अपीलाधीन निर्णय परित कर भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान राजस्व रेकर्ड दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किये बिना ही एवं वर्तमान रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावें। अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ पेश की यथा– 20215 डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 202, 2018 (2) आरआरटी पेज 1355, आरआरडी 14.11.2019 पेज 735 इत्यादि।

प्रत्युतर मे रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश करते हुए कथन किया ग्राम पंचायत नान्दडा कला के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 13 को स्वीकार करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है क्योंकि अभिलिखित खातेदार कालिया उर्फ कालूराम पुत्र चुतराराम के वारिसान की कोई जॉच नहीं की गई और न ही उनकों अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, केवल मात्र कालिया के पांच पुत्रों के नाम नामा0 स्वीकृत कर दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 भी उनकी विधिक वारिसान रही है। अतः अपीलाधीन नामा0 संख्या 13 को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 13 को खारिज कर कालीया उर्फ कालूराम पुत्र चुतरा के समस्त विधिक वारिसानों की जॉच करते हुए उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2021 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है और न ही उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहती है जो बहाल रखा जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि खातेदार कालीया पुत्र चतरा के स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्टस को जो अधिकार विवादग्रस्त भूमि उत्तराधिकार कानून के तहत अर्जित हुए उन अधिकारों को नामा0 की कार्यवाही के जरिये समाप्त नहीं किया जा सकता था। नामा0 संख्या 13 में वर्णित ग्राम बासनी बेंदा के ख0सं0 19,72, 87 के खातेदार कालीया के फौत होने पर उनके कुल 8 वारिश थे जिसमें पांच पुत्र और तीन पुत्रिया था, जिन सभी के नाम से नामा0 स्वीकार किया जाना चाहिये था परन्तु ग्राम पंचायत ने केवल मात्र उनके पुत्रों के नाम ही नामा0 भर दिया, बिना विधिवत जॉच किये गये नामा0 पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज करते हुए रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। परन्तु रेस्पोडेन्टस के द्वारा नोटिस तामील करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामा0 को स्वीकृत किये जाने की जानकारी दिनांक 30.6.2020 को अन्य रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि में उनका कोई हक–हिस्सा दर्ज नहीं है क्योंकि उनके पिताजी के देहान्त उपरान्त 05 भाईयों के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और आपका कोई अधिकार नहीं है तब रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की, तब नामा0 की प्रथम बार जानकारी होने पर उनके द्वारा विधि अनुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गई और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया और अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया गया है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मृतक कालीया उक्त वादग्रस्त खसरान की रकबा भूमि के रेकर्डेड खातेदार रहे थे और उनके निवर्सीयत स्वर्गवास हुए इस कारण उपरोक्त भूमि में उनके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान के बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार उनके आठों वारिसों को प्रत्येक को 1/8 हिस्सा अर्जित हुआ जिसके वे सहखातेदार है और उनके बीच कोई विभाजन नहीं हुआ है। ऐसे में उनको विरासत में प्राप्त उक्त भूमि में अपने हक हिस्सा प्राप्त करने हेतु ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेन्टस के अपील में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्शाये गये कथनों एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारणा को मध्येनजर रखते हुए ही अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार कालीया के सभी विधिक वारिसान की जॉच करते हुए नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान अपीलान्टस जो कि वर्तमान में बेचान दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार होने से प्रभावित पक्षकार होना दर्शाते हुए तथा मौके पर काबिज काश्त होने के आधार पर उनको बिना पक्षकार बनाये और बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु यह द्वितीय अपील पेश की है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 जो मृतक खातेदार कालीया की पुत्रियॉ है जिनका उनके पिता के खसरान भूमि में अपने 05 भाईयों के हक–हिस्से के समान ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के आधार पर वादग्रसत भूमि में बराबर के हक–हिस्से के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है, अगर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टस के हक– हिस्से वाली भूमि से अधिक भूमि को खरीद किया गया है तो वह उसके लिये जिम्मेवार नहीं है, अपीलान्टस केवल रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 के अन्य 05 भाईयों के हक–हिस्से तक बेची गई भूमि के बेचान हिस्से तक ही अधिकार पाने के अधिकारी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2021 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से लगभग 52 वर्ष की लम्बी अवधि बाद प्रथम अपील पेश की गई जिसका भी कोई समुचित एवं संतोषनजक कारण म्याद प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा अंकित नहीं किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

इसके अतिरिक्त जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था तो तत्समय में रेस्पो0 संख्या 2, 4/1/1 व 4/1/2 का देहान्त हो चुका था एवं रेस्पो0 संख्या 2, 4/1/1 व 4/1/2 के कानूनी वारिसान को रेकर्ड पर लिये बिना ही आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

इसके अलावा अपील प्रकरण में नारायणी देवी द्वारा दिनांक 15.03.2021 को जो वसीयत गजेन्द्र पुत्र जियाराम के पक्ष में करना बताया गया है, वो प्रथम दृष्टया गलत व फर्जी होना प्रतीत होती है चूंकि जिस तथाकथित वसीयत से गजेन्द्र पुत्र जियाराम अपने आपको वसीयतग्रहिता बता रहा है उसमें नारायणी के प्रथम श्रेणी के वारिसानों का कोई जिक्र ही नहीं है और न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया गया है कि नारायणी देवी का कोई वारिस है या नहीं ? अतः वसीयतकर्ता के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जॉच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत को पूर्णतया सही मानकर निर्णय पारित करना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट/केतागण को उक्त अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया गया और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। नाम0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील एक फिस्कल प्रोसिडिग्स है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को हक–अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 50 साल से ज्यादा के विलम्ब को बिना देखे ही एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वर्णित रेकर्डेड खातेदारों को बिना सुनवाई किये ही आदेश पारित करना किसी भी रूप से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता। यदि किसी प्रकार से पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक–अधिकार बनता था तो उन्हें पृथक से घोषणा का दावा करना चाहिये था। वादग्रस्त भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 कोयली व तुलसी द्वारा पूर्व में ही अपीलान्ट के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया गया था। इस आधार पर भी यह अपील स्वीकार करने योग्य बनती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर